

पत्रांक—02 / विविध (सिरीज)–55 / 2014, परि०
बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार, बि०परि०से०,
सहायक परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
पटना।

विषय :—

जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु
नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—5025, दिनांक—08.08.2025 के
संबंध में कहना है कि जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु
नया निबंधन सिरीज **BR-01JP** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि
वर्तमान चालू सिरीज **BR-01JN** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस नयी
सिरीज के अन्तर्गत निबंधन प्रारंभ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में मालवाहक एवं
व्यावसायिक (परिवहन) वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सहायक परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :— 02 / विविध (सिरीज)–55 / 2014, परि० 6679 पटना, दिनांक—12/8/2025

प्रतिलिपि :— राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, बिहार, पटना एवं आई०टी०
मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को ई०—ऑक्शन में समाहित करने हेतु
सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/8/25
सहायक परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक—02/विविध (सिरीज)–55/2014, परि० 6679
बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार, बि०परि०से०,
सहायक परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
पटना।

विषय :—

जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु
नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—5025, दिनांक—08.08.2025 के
संबंध में कहना है कि जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु
नया निबंधन सिरीज **BR-01JP** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि
वर्तमान चालू सिरीज **BR-01JN** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस नयी
सिरीज के अन्तर्गत निबंधन प्रारंभ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में मालवाहक एवं
व्यावसायिक (परिवहन) वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सहायक परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।